



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230331
CG-DL-E-11102021-230331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3851]
No. 3851]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4194(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत अधिकारी पालनपुर, बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना, 3rd फ्लोर, कॉम्प्लेक्स-ए, गोपाल आर्केड, सर्किट हाउस के पीछे, सरदार पटेल सोसाइटी, पालनपुर, जिला-बनासकांठा-385001 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका – धानेरा

जिला-बनासकांठा

राज्य-गुजरात

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं /गाटा सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनापुर छोटा	768	00	00	42
		846	00	00	64
		771	00	00	50
		817	00	00	40
		818	00	00	11
		कुल	00	02	07
2	आलवाडा	785	00	01	16
		790	00	00	65
		796	00	01	37
		798	00	02	43
		805	00	03	50
		881	00	01	72
		893	00	03	35
		889	00	01	07
		906	00	00	76
		908	00	02	36
		910	00	03	29
		920	00	03	03
		1002	00	00	87
		1013	00	02	68
		1027	00	00	74
		1050	00	00	83
		1081	00	00	91
		1067	00	01	21
		कुल	00	31	93

[फा. सं. आर.-11025(15)/3/2020- ओ.आर-1/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4194(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority & Prant Officer-Palanpur, Barmer Palanpur Pipeline Project, 3rd Floor, Complex-A, Gopal Arcade, Behind Circuit House, Sardar Patel Society, Palanpur, Dist.- Banaskantha -385 001 (Gujarat).

SCHEDULE**TALUKA- DHANERA****DISTRICT- BANASKANTHA****STATE- GUJARAT**

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ANAPUR CHHOTA	768	00	00	42
		846	00	00	64
		771	00	00	50
		817	00	00	40
		818	00	00	11
		Total	00	02	07
2	Aalwada	785	00	01	16
		790	00	00	65
		796	00	01	37
		798	00	02	43
		805	00	03	50
		881	00	01	72
		893	00	03	35
		889	00	01	07
		906	00	00	76
		908	00	02	36
		910	00	03	29
		920	00	03	03
		1002	00	00	87
		1013	00	02	68
		1027	00	00	74
		1050	00	00	83
		1081	00	00	91
		1067	00	01	21
		Total	00	31	93

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.